RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number(CIN: U40109RJ2000SGC016485]
OFFICE OF THE JOINT LEGAL REMEMBRANCER
(Legal Affairs Department)
Regd. Office: VidyutBhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005
Telephone: +91-141-2740248 : Fax: +91-141-.......................:
Email: jlr.rvpn@rvpn.co.in : Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

No. RVPNL/ JLR/ F.3 (77)/D. 565 Jaipur, Dated: 20.8.2020

समस्तमुख्य अभियन्ता,आर.वी.पी.एन., ...
मुख्य लेखानियंत्रक, आर.वी.पी.एन., जयपुर,
मुख्य कार्मिकअधिकारी, आर.वी.पी.एन., जयपुर,
संयुक्तसचिव (पेंशन), आर.वी.पी.एन., जयपुर
सहा. सचिव (संस्था–प्र./द्वि./तृ./जी.ए.डी.), आर.वी.पी.एन, जयपुर

परिपत्र

विषयः– विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि से पूर्व प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित अधिवक्ता से संपर्क किये जाने बाबत्।

राजस्थान विधुत प्रसारण निगम से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि से पूर्व प्रभारी अधिकारी द्वारा निगम के अभिभाषक से संपर्क करने एवं नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहने के संबंध में प्रभारी अधिकारियों से सदैव अपेक्षा की जाती है एवं इस संबंध में पूर्व में भी दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है ।

कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि निगम द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने या तो पैरवी छोड दी है अथवा अभिभाषक का न्यायाधिपति के पद पर उन्नयन हो गया है अथवा अधिवक्ता का स्वर्गवास हो गया है। ऐसी स्थिति में विभाग के प्रकरणों में विपरीत आदेश होने की संभावना प्रबल होती है । प्रायः ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब प्रभारी अधिकारी द्वारा लम्बे समय से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया है ।

अतः सुनिश्चित करें की लंबित न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों द्वारा निगम के नियुक्त अभिभाषक से निरन्तर संपर्क बनाये रखा जाय एवं उपरोक्त वर्णित स्थिति में अविलम्ब इस अनुभाग को अवगत कराया जाय ताकि नये अधिवक्ता की नियुक्ति की जा सके ताकि माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकरणों में विभाग के विरूद्व किसी प्रकार का विपरीत आदेश अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण पारित न हो।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें अन्यथा अवहेलना की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

20/08/20
(अशोक गुप्ता)
संयुक्त विधि परामर्शी